भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 789
दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी देशों में काम कर रहे मुस्लिम प्रवासी

789. **श्री यूसुफ पठानः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मुस्लिम प्रवासियों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय मुसलमानों द्वारा सामना किए जा रहे शोषण या भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन देशों में भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी मदद और सहायता सहित ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों का धर्म-वार डेटा नहीं रखती है। इसमें भारतीय प्रवासियों (विदेश में रहने वाले भारतीय मुसलमानों सहित) द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण या भेदभाव की शिकायतों के बारे में धर्म-वार जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। मिशनों को प्राप्त होने वाली अधिकांश शिकायतें कार्य/श्रम से संबंधित होती हैं। सरकार ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से विदेश में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर भारतीय मिशनों से संपर्क कर सकें। भारतीय नागरिक विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों और शिकायत निवारण पोर्टलों जैसे मदद, सीपीग्राम, ई-माइग्रेट आदि के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने टोल फ्री हेल्पलाइनों, व्हाट्सएप नंबरों सहित 24X7 हेल्पलाइनें स्थापित की हैं तथा मोबाइल ऐप भी लांच किए हैं, ताकि भारतीय नागरिक संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

इसके अलावा, संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र भी संकटग्रस्त भारतीय

नागरिकों की माली हालत के आधार पर निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं:

(क) पार्थिव शरीर को भारत लाना या परिवार की सहमति से दाह संस्कार करना;

(ख) आपातकालीन चिकित्सा देखभाल;

(ग) कानूनी सहायता;

(घ) भोजन एवं आवास; और

(ड़) फंसे हुए भारतीयों के लिए हवाई यात्रा।

इसके अलावा, खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में आश्रय गृह की व्यवस्था है, जहां संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार तथा उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करके सहायता प्रदान की जाती है। जो कामगार महिलाएं फंसी हुई हैं या संकट में हैं, वे किसी भी समय दूतावासों से संपर्क कर सकती हैं और उन्हें भारत वापस भेजे जाने तक सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी अनेक पहल की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित रूप से प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें कार्य और रहने की उचित निवास स्थान मिल सके, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

जीसीसी देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर, कामगारों के कल्याण और संरक्षण से संबंधित मामलों को संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों को नियमित रूप से राजनयिक चेनलों के माध्यम से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ उठाया जाता है।

*****